व्यापारियों के लिए बनेगा व्यापारी कल्याण बोर्ड

कैबिनेट ने लिया निर्णय

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 5 मई. प्रदेश में व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने भी कदम बढ़ाया है, जिससे कि उनका व्यापार-व्यवसाय फले और फुले और उनकी समस्याओं को सुनने और समझने के लिए एक मंच भी मिले. इस क्रम में राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन होगा. इसी तरह जिला स्तरीय समितियां भी गठित होंगी.

कैबिनेट ने मंगलवार को इस संबंध में पेश प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. दरअसल भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए इस कदम का मुख्य लक्ष्य प्रदेश के व्यापारियों और सरकार के बीच एक सीधा संवाद तंत्र स्थापित करना है, जिससे व्यापारिक क्षेत्र की बाधाओं को दूर कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके. मुख्यमंत्री, राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष होंगे. औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सदस्य होंगे. प्रशासनिक समन्वय सुनिश्चित करने के लिए वित्त, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनिज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, एनएचएआई और एफएसएसएआई जैसे प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों को भी बोर्ड का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है. अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान और आरसीपीवी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.

बोर्ड में देश के प्रतिष्ठित व्यापारिक संगठनों जैसे सीआईआई, फिक्की, डिक्की, फिओ और लघु उद्योग भारती के राज्य प्रमुखों को पदेन सदस्य के रूप में जोड़ा गया है. क्षेत्रीय प्राधिकरण डीजीएफटी को सदस्य एवं एमपीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक को सदस्य सचिव के रूप में शामिल किया गया है. बोर्ड में जरुरत के मुताबिक संशोधन अध्यक्ष की अनुमति से किया जा सकेगा. जिला स्तरीय समिति के गठन एवं कार्य क्षेत्र का निर्धारण सदस्य सचिव द्वारा किया जायेगा. राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड की बैठक कैलेंडर वर्ष में चार बार यानी प्रत्येक 3 माह में एक बार तथा जिला स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक माह में एक बार आयोजित की जाएगी.

> **इलेक्ट्रनिक्स मैन्युफेक्चरिंग क्लस्टर्स बांदीखेड़ी में**
>
> कैबिनेट ने द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफेक्चरिंग क्लस्टर्स और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य से संबंधित योजनाओं की निरंतरता और संचालन के लिए 1295 करोड़ 52 लाख रूपये की मंजूरी दी है. स्वीकृति अनुसार आरसीबीसी, डीईजीएस और एनआईसी आदि केन्द्रों के आगामी पांच वर्षों 1 मार्च 2026 से 31 मार्च 2031 तक संचालन के लिए 244 करोड़ 20 लाख रूपये खर्च होंगे. ई-दक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है. इसी तरह प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफेक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना के लिए 225 करोड़ 32 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है.

राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति का पुनर्गठन

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 5 मई. राष्ट्रीय हरित अधिकरण मुख्य बेंच, नई दिल्ली द्वारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति का पुनर्गठन किया है.

समिति में अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नवकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण, परिवहन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, प्रमुख सचिव राजस्व, वन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, खनिज संसाधन, पशुपालन एवं डेयरी, सूक्ष्म, लघू और मध्यम उद्यम, प्रमुख सचिव/सचिव स्कूल शिक्षा, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल, आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल, सदस्य सचिव, मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, संचालक पर्यावरण नियोजन एवं समन्वयक संगठन भोपाल, एमए. एनआइटी भोपाल, आरजीपीवी भोपाल, आरबीआई सदस्य होंगे.

मौसम : कहीं ओले गिरे तो कहीं धूल भरी आंधी

48 घंटों के दौरान कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला

भोपाल, 05 मई. प्रदेश में मौसम के मिजाज पूरी तरह बदल गए हैं. प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 48 घंटों के दौरान कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला. जहां नीमच, मंदसौर और टीकमगढ़ समेत विदिषा, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली जिलों में जोरदार ओलावृष्टि हुई, वहीं रतलाम में धूल भरी आंधी ने जनजीवन प्रभावित किया.

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के रीवा, शहडोल, सागर और ग्वालियर संभाग के अधिकांश जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश दर्ज की गई है. सीहोर और शिवपुरी जैसे इलाकों में हवा की रफ्तार 60 से 67 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई. जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया.

वहीं मंगलवार को प्रदेश में खरगौन जिला में सबसे अधिकतम 42 डिग्री और न्यूनतम पचमढ़ी में 16 डिग्री का तापमान रहा. मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि अभी राहत के आसार नहीं हैं. अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना बनी रहेगी. विशेष रूप से पश्चिमी और पूर्वी मध्यप्रदेश के जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं.

> राजधानी में पिछले 24 घंटों में भोपाल एयरपोर्ट और शहर के कई इलाकों में करीब 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं. आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही तो कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई है. अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भोपाल और आसपास के जिलों जैसे विदिशा और रायसेन में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है. जबकि मंगलवार को जिले का अधिकतम तापमान 37 .2 डिग्री और न्यूनतम 21 .4 डिग्री रहा. हालांकि भीषण गर्मी के बीच जिले में हुई हल्की फुहार से करीब 3 .2 डिग्री तापमान में कमी दर्ज की गई.

एफआईआर निरस्त करने वाली याचिका खारिज

पन्ना. जिले की मनौर स्थित बहुचर्चित आदिवासी महिलाओं की जमीन धोखाधडी कर हथियाने वाले मामलें में आरोपी श्रीकांत दीक्षित एवं अनुपम त्रिपाठी वगैरह की ओर से हाईकोर्ट जबलपुर में रिट पिटिसन याचिका दायर कर उनके विरूद्ध थाना कोतवाली पन्ना में दर्ज अपराध क्रमांक 824/2025 जो कि 25 सितंबर 2025 को 420, 467, 468, 471 एवं एससी एसटी एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था उसे निरस्त करने की मांग की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा निरस्त कर दिया गया है. याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में दावा किया गया था कि राजाराम जो कि भू-स्वामी था उससे वैध सौदा कर पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से कलेक्टर की अनुमति से विधिवत जमीन प्राप्त की गई थी और एफआईआर दर्ज कराने वाली महिलाएं जिन्होंने जगोला गौ? की पुत्रियां होने का दावा किया गया है उनकी रिट याचिका पूर्व में ही खारिज हो चुकी है. वहीं याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि यह प्रकरण पूरी तरह से सिविल प्रकृति का है जिसके विपरित क्रिमनल केस कानून प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया गया है और कलेक्टर पन्ना के निर्देश पर पन्ना पुलिस ने बिना किसी ठोस सबूत के एफआईआर दर्ज करवाई गई है.

एनएसयूआई ने सौंपा घोटालों का डोजियर

प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री शुक्ला से की कार्रवाई की मांग

विशेष संवाददाता

भोपाल, 05 मई. मध्यप्रदेश में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में कथित अनियमितताओं को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने अपना आंदोलन तेज करते हुए मंगलवार को उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला को विस्तृत डोजियर सौंपा.

प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी और एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में फर्जी अस्पतालों का संचालन, नर्सिंग कॉलेजों में फर्जी फैकल्टी की नियुक्ति और आयुष्मान योजना में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है.

एनएसयूआई नेताओं ने दावा किया कि कई जिलों में जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय दोषी संस्थानों को संरक्षण दे रहे हैं. रवि परमार ने विशेष रूप से भोपाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मनीष शर्मा पर बिना मानकों के अस्पतालों को संचालित होने देने और सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया.

> प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि संलिप्त अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराई जाए. जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर ने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा. एनएसयूआई ने स्वास्थ्य व्यवस्था में जनविश्वास बहाल करने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

ओम जैन और भदौरिया ने किया पदभार ग्रहण

भाजपा प्रदेश कार्यालय में महापुरुषों की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 5 मई. प्रदेश में निगम-मंडलों में थोकबंद राजनीतिक नियुक्तियों के बाद अब पदभार ग्रहण करने का सिलसिला लगातार जारी है.

मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में मप्र गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष ओम जैन एवं मप्र महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष केशव सिंह भदौरिया ने पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ताओं के साथ महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया. उसके बाद जैन ने पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स एवं भदौरिया ने डीबी मॉल के सामने स्थित कार्यालय पहुंचकर विधि विधान से पूजन-अर्चन कर पदभार ग्रहण किया. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल की उपस्थिति में 6 मई, बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में निगम एवं आयोग के नवनियुक्त तीन अध्यक्ष महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करने के बाद अपने-अपने कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण करेंगे.

> **संतुलित विकास सुनिश्चित किया जाएगा**
>
> मप्र गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष ओम जैन ने कहा कि मप्र गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के माध्यम से आमजन को बेहतर और सुलभ आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित किया जाएगा.
>
> **योजनाओं का होगा प्रभावी क्रियान्वयन**
>
> मप्र महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष केशव सिंह भदौरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने मुझे जो दायित्व सौंपा है, उसका निर्वहन पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करूंगा.

सस्पेंड अधीक्षक के खिलाफ जांच तेज, दो सदस्यी टीम गठित

नवभारत न्यूज़

खंडवा. जनजातीय कार्य विभाग में अवैध वसूली और ट्रांसफर-पोस्टिंग में गड़बड़ियों के मामले में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जांच तेज कर दी है. सस्पेंड किए गए हॉस्टल अधीक्षक हेमंत सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई अब और गहराती नजर आ रही है.

मामले के उजागर होने के बाद इंदौर कमिश्नर ने पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के निर्देश दिए, जिस पर अमल करते हुए कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने दो सदस्यीय जांच दल गठित कर दिया है. इस टीम को दो दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. जांच दल में नायब तहसीलदार अभय भटोरे और जिला कोषालय के सहायक कोषालय अधिकारी महिपाल सोलंकी को शामिल किया गया है. मामला जिले में संचालित 125 छात्रावासों से जुड़े अधीक्षकों से हर महीने दो-दो हजार रुपए की कथित अवैध वसूली से संबंधित है.

नाम सुधार सूचना

मै अरूण सिंह तनय नंदकिशोर सिंह निवासी मनकहरी बढिया सतना म.प्र. का होकर बहलफ सूचित कर रहा हूं. मेरा ड्राईविंग लाइसेंस बना हुआ है जिसका नं. MP19 20100129704 है जिसमें मेरे पिता जी का नाम N.K.Singh दर्ज है जो कि गलत है जबकि मेरे पिता जी का सही नाम नंदकिशोर सिंह है जो मेरे आधार कार्ड में दर्ज है. अतः मेरे ड्राईविंग लाइसेंस में दर्ज पिता जी का नाम नाम N.K.Singh के स्थान पर सही नाम नंदकिशोर सिंह दर्ज किया जाए जो सत्य एवं सही है.

नाम सुधार सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आर्मी नंबर 2887959L हवलदार रविशंकर सिंह निवासी HIG 734 प्रियदर्शनी नगर जमोड़ी सीधी मध्य प्रदेश का निवासी हूं, मेरी पुत्री साक्षी सिंह के समस्त रिकार्ड जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th सर्टिफिकेट में साक्षी सिंह नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग SAKSHEE SINGH है, जो कि पूर्णतः सही है। किन्तु मेरे आर्मी के दस्तावेज में मेरी पुत्री साक्षी सिंह के नाम की अग्रेजी स्पेलिंग त्रुटि वश SAKSHEE SINGH की जगह SAKKSHEE SINGH दर्ज हो गया है। मेरी पुत्री साक्षी सिंह (SAKSHEE SINGH) अभिलेख कार्यालय में दर्ज किया जाए एवं लिखा व पढ़ा जाए।

शपथकर्ता
हवलदार, रविशंकर सिंह

सरनेम सुधार सूचना

मैं **लक्ष्मण बघेल पिता श्री टेकचंद बघेल** उम्र 40 वर्ष निवासी 147 पटेल मोहल्ला जैतपुरकलां ग्राम जैतपुरकलां तहसील सिवनी जिला सिवनी म.प्र. हाल मुकाम पता सी-2, शिल्पी कुंज, समान रीवा, तहसील हुजूर जिला रीवा म.प्र. आधार नं. 9742 6323 0619 का हू। मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम लक्ष्मण **(LAXMAN) पिता टेकचंद (TEKCHAND)** दर्ज हैं जबकि अन्य सभी दस्तावेज मे मेरा नाम **लक्ष्मण बघेल (LAXMAN BAGHEL) पिता टेकचंद बघेल (TEKCHAND BAGHEL)** अंकित हैं, जो कि सही व सत्य है। मेरा दोनों नाम **लक्ष्मण (LAXMAN) पिता टेकचंद (TEKCHAND)** व **लक्ष्मण बघेल (LAXMAN BAGHEL) पिता टेकचंद बघेल (TEKCHAND BAGHEL)** जो कि मेरा व पिता एक ही व्यक्तिका नाम हैं जो एक व्यक्ति एक ही हैं। मैं अपना पासपोर्ट बनवाना चाहता हूँ, जिसमें मेरा नाम **लक्ष्मण बघेल (LAXMAN BAGHEL) पिता टेकचंद बघेल (TEKCHAND BAGHEL)** अंकित कर हर जगह लिखा, पढ़ा व मान्य किया जाये।

कपल स्टेट्स लगाकर प्रेमी युगल ने दी जान

मुरैना. देवगढ़ थाना इलाके में एक कपल ने गांव के बाहर आम के पेड़ पर फांसी लगातार अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. यह कदम उठाने से पहले प्रेमी युवक द्वारा अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर बॉयस रिकॉर्डिंग कर डाला कि हम आत्म हत्या अपनी मर्जी से कर रहे है. किसी के दबाव में फांसी नहीं लगा रहे है. ''लिखा गुडबॉय दोस्तो'' और फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली. शव मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है. छत्तरपुरा गांव के रहने वाले योगेश इसी गांव की रहने वाली अंजलि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन लड़का ब्राह्मण और लड़की कुम्हार जाति के होने के कारण परिवार जनों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था.

महिला सशक्तिकरण केवल भाषणों तक सीमित

भोपाल, 05 मई. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा ने मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के दावों को धरातल पर उतारने में विफल रही है.शर्मा ने कहा कि जहां एक ओर भारतीय महिलाएं अंतरिक्ष, खेल, रक्षा, संगीत और कला जैसे क्षेत्रों में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस बैंड जैसी सेवाओं में उन्हें अवसर न देना राज्य में लैंगिक समानता पर गंभीर सवाल खड़े करता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि लैंगिक समानता केवल नीति का विषय नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है, जिसका हर भर्ती प्रक्रिया में पालन अनिवार्य है.

सांची रेलवे स्टेशन बना आधुनिकता का प्रतीक

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत सांची स्टेशन का पुनर्विकास कार्य पूर्ण

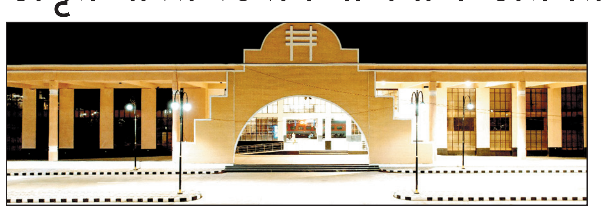

भोपाल,05 मई. रायसेन जिले में स्थित सांची रेलवे स्टेशन ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से स्टेशन को एनएसजी-4 की श्रेणी में बांटा गया है.

डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि वर्तमान में सांची स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ 15.32 करोड़ की लागत से पूरा कर लिया गया है. इस विकास कार्य में स्टेशन को आधुनिक, सुविधायुक्त और आकर्षक स्वरूप प्रदान किया गया है. जिससे स्टेशन के बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार देखने को मिल रहे है. बता दें स्टेशन भवन का उन्नयन कर उसे अधिक आकर्षक एवं सुविधाजनक बनाया गया है. प्लेटफॉर्मों पर बेहतर शेड, आधुनिक बैठने की व्यवस्था और उन्नत सतह का निर्माण किया गया है. साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल सूचना प्रणाली, कोच पोजिशन डिस्प्ले और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम को आधुनिक रूप दिया गया है. वहीं स्टेशन परिसर के सर्कुलेटिंग एरिया का विकास और सौंदर्यीकरण भी किया गया है. जिसमें पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करते हुये स्वच्छ शौचालय, प्रतीक्षालय और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी उन्नत किया गया है.

उद्घोषणा

(अंतर्गत धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्तगण **01-सैफ खान पिता मोहम्मद समीम उम्र-25 वर्ष निवासी उंचगांव। 02-जावेद खान पिता मोहम्मद समीम उम्र-21 निवासी उंचगांव। 03-आफताब अहमद पिता फारूख अहमद उम्र-28 निवासी उंचगांव। 04- मोहम्मद तालीब पिता इसरार उम्र-24 वर्ष निवासी सेमरिया थाना कोरांव जिला प्रयागराज उ0प्र0 ।** ने अपराध **क्रमांक 528**/2025 अंतर्गत धारा 140 (3), 309 (4), 3(5), बीएनएसएस के अधीन दंडनीय अपराध किया है **(या संदेह है कि उसने किया है)** और उन पर जारी किये गये गिरफ्तारी वांरट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्तगण मिल नही रहा है, और मुझे समाधान रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्तगण फरार हो गये है **(या उक्त वारंट की तामीली से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहे है) इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि थाना गढ के अपराध क्रमांक... 528/2025 अंतर्गत धारा** 140 (3), 309(4), 3(5), बीएनएसएस में **उक्त अभियुक्तगण..**

01-सैफ खान पिता मोहम्मद समीम उम्र 25 वर्ष निवासी उंचगावं। 02-जावेद खान पिता मोहम्मद समीम उम्र 21 निवासी उंचगांव। 03-आफताब अहमद पिता फारूख अहमद उम्र 28 निवासी उंचगांव। 04-मोहम्मद तालीब पिता इसरार उम्र 24 वर्ष निवासी सेमरिया थाना कोरांव जिला प्रयागराज उ0प्र0 ।

अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए न्यायालय मनगवां में तारीख दिनांक 19-06-2026 को हाजिर हो।

दिनांक 15-04-2026

न्यायालय की मुद्रा

यश अविद्रा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
मनगवां जिला-रीवा (म.प्र.)

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दक्षिण शहडोल वनमण्डल जिला-शहडोल 484001 (म.प्र.)

PHONE -07652-240304, FAX-07652-240304 EMAIL-dfosshahdol@mpforest.org, dfotsshahd@mp.gov.in

क्रमांक/ई-टेण्डर/2026/3490 — शहडोल दिनाँक 24.04.2026

ई-निविदा प्रेस विज्ञप्ति सूचना

वन मण्डल दक्षिण शहडोल अंतर्गत शासकीय भवनों में उपयोग हेतु सामग्री सोलर सिस्टम मय इंस्टालेशन सहित क्रय कर इंस्टालेशन की आवश्यकता है। सामग्री प्रदाय करने एवं इंस्टालेशन हेतु एम0 पी0 ई-टेन्डरिंग पद्धति के माध्यम से ऑनलाईन पोर्टल https/mptenders.gov.in के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है जिसकी निविदा क्रमांक : 2026 MPFD_503100 । निविदा हेतु सामग्री का विवरण एवं स्पेशिफिकेशन निम्नानुसार है :-

PRODUCT SPECIFICATIONS

S No	Item Name	Specification	Qty
01	01 KW SOLAR OFF GRID SYSTEM	SOLAR PANEL (MNRE APPROVED) WATTS-540 WATTS 2 nos, TYPE- Mono PANEL, (Min. 25 Yr Warranty) STRUCTURE TYPE-HOT DIP GI, FIX TYPE, ISI MARK INVERTER (MPPT BASED Technology) Capacity-2KVA/24V (Min. 5 Yr Warranty) BATTERY TYPE (ISO, ISI) Lifepo4 Battery, Capacity 100AH/25.6V, (02 Nos.) SINGLE * RACK, (Min. 5 Yr Warranty) **All Accessories Included With Installation**	आवश्यकतानुसार
02	02 KW SOLAR OFF GRID SYSTEM	SOLAR PANEL (MNRE APPROVED) -WATTS-540 WATTS*4 nos. Mono PANEL, (Min. 25 Yr Warranty) STRUCTURE TYPE-HOT DIP GI, FIX TYPE, ISI MARK INVERTER (MPPT BASED Technology) Capacity-3KVA/48V (Min. 5 Yr Warranty) BATTERY TYPE (ISO, ISI) Lifepo4 Battery, Capacity 100AH/51.2V, (04 Nos.) SINGLE RACK, (Min. 5 Yr Warranty) **All Accessories Included With Installation**	आवश्यकतानुसार

निविदा में भाग लेने तथा निविदा खोलने की तिथि एवं समय की जानकारी निम्नानुसार है :-

विवरण	दिनांक	रिमार्क
Tender Publishing Date & Time	Date 27/04/2026 Time 10.00 AM	निविदाऑनलाईन http://mptenders.gov.in के माध्यम से भरे एवं देखे जा सकते है।
Tender Sale Start Date & Time	Date 27/04/2026 Time 10.00 AM	
Pre Bid Meeting Date	Date 01/05/2026 Time 13.00 PM	
Bid Submission Start Date & Time	Date 27/04/2026 Time 10.00 AM	
Bid Submission closing Date & Time	Date 18/05/2026 Time 05.00 PM	
Bid Opening Date & Time	Date 20/05/2026 Time 10.10 PM	

निविदादाता निविदा की सूचना एवं सामग्रियों के विस्तृत विवरण हेतु एवं अन्य संबंधित जानकारी वेबसाईट https://mptenders.gov.in एवं विभाग की वेबसाईट https://mpforest.gov.in पर देख सकते है।

G-12465/26

(श्रद्धा पन्द्रे)
वन मण्डलाधिकारी
दक्षिण शहडोल वनमण्डल

कार्यालय नगर पालिक निगम सतना (म0प्र0)

N.i.T क्र. 03(E.T.)/निर्माण/ न.पा.नि./2026-27 — सतना, दिनांक 04.05.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम सतना द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण बेवसाईट https://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	निविदा क्र.व जारी दिनांक	टेण्डर क्रमांक	कार्य का नाम	वार्ड क्र.	अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य की समयावधि
01	03/01 04.05.2026	2026_UAD 504856_1	डब्ल्यू.बी.एम. रोड निर्माण भइयालाल प्रजापति से त्रिवेणी वर्मा के घर तक (पार्षद निधि)	32	9,83,151/-	19,700/-	2,000/-	02 माह
02	03/02 04.05.2026	2026_UAD 504857_1	पेवर रोड निर्माण रैनबो हॉस्पिटल के समीप 5 एवं मोन्टी तिवारी के बाजू में (पार्षद निधि)	07	4,93,481/-	9,900/-	2,000/-	01 माह
03	03/03 04.05.2026	2026_UAD 504858_1	डामरीकरण रोड निर्माण एवं मरम्मत कार्य विभिन्न स्थानों में (Zone-02) (द्वितीय काल)	25,35, 36 एवं 38 से 41	82,39,750/-	82,400 /-	10,000/-	03 माह
04	03/04 04.05.2026	2026_UAD 504860_1	सी.सी. रोड विभिन्न स्थानों में पौराणिक टोला (द्वितीय काल)	04	29,26,800/-	50,000/-	5,000/-	04 माह
05	03/05 04.05.2026	2026_UAD 504861_1	पार्क निर्माण कार्य (द्वितीय काल)	31	11,15,800/-	22,400/-	2,000/-	03 माह
06	03/06 04.05.2026	2026_UAD 504862_1	पेवर्स रोड कार्य विभिन्न स्थानों में (पार्षद निधि) (द्वितीय काल)	45	5,88,600/-	11,800/-	2,000/-	02 माह
07	03/07 04.05.2026	2026_UAD 504864_1	सी.सी. रोड निर्माण गली नं. 01 नितिन ज्वेलर्स से सुरेश प्रकाश बी. एल. स्कूल के आगे -(तृतीय काल)	37	6,27,440/-	12,600/-	2,000/-	03 माह

शर्ते :-

1. निविदा प्रपत्र वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर दिनांक 05.05.2026 समय 15.30 से दिनांक 22.05.2026 समय 17.30 बजे तक ऑनलाइन भुगतान करने पर प्राप्त हो सकेगा ।
2. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://www.mptenders.gov.in की वेबसाईड पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

" स्वच्छ सतना-लक्ष्य अपना "

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम,
सतना (म.प्र.)